सार-समाचार

हनुमान जन्मोत्सव का बताया महत्व

रूपवास, (निसं)। क्षेत्र के चैकोरा रोड पर स्थित दाऊजी आश्रम पर आयोजित की रही श्रीराम कथा के 8 वें दिन साध्वी जय प्रिया बरसाना वाली ने साधु संतों भक्तगणों से कहा कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि हनुमान को वायु देवता का पुत्र भी माना गया है। हनुमान जन्मोत्सव भगवान हनुमान के जन्म उत्सव का प्रतीक है। हनुमान का जन्म अंजना और केसरी के घर हुआ था। उन्होंने राक्षस राजा रावण से सीता को बचाने में भगवान राम की सहायता की चैत्र मास की पूर्णिमा शनिवार को राक्षस के जन्मदिन पर हनुमान जी ने एकादशी मुख धारण कर उस राक्षस को मारा था इसलिए हनुमान जन्मोत्सव पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। 12 अप्रैल शनिवार होने के कारण इसका महत्व है। अधिक से अधिक 12 अप्रैल शनिवार को विशाल भंडारे में सभी साधु संतों भक्तों को अधिक से अधिक संख्या में आने का आ ान किया। कुल्हाड़ा आश्रम के श्री श्री 108 भास्कर नंद एवं दाऊजी आश्रम के व्यवस्थापक संत राघव चेतन सानिध्य में धौलपुर बाड़ी जगनेर आगरा हिंडौन सिटी भरतपुर एवं आसपास के गांव के भारी संख्या में साधु संत भक्त कथा को सुनने आ रहे है। भक्तों की भारी भीड़ को देख रोजाना पंडाल बढ़ाना पड़ रहा है। 12 अप्रैल शनिवार को विशाल भंडारे को देखते हुए आसपास के ठामीण एवं भक्त गण की बैठक हुई जिसमें सभी गांवो के भक्तजनों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कथा को सुनने जनप्रतिनिधि, प्रशासन, दुकानदार, किसान, मजदूर सभी भारी संख्या में आ रहे हैं।

आग से 30 बीघा की फसल स्वाहा

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर में उद्योग नगर थाना इलाके के जघीना गांव में चार किसानों की करीब 30 बीघा फसल में आग लग जाने से लाखों का नुकसान हो गया। खेतों के ऊपर से 11 केवी बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग की चिंगारी से एक खेत में लगी आग धीरे-धीरे आसपास के तीन अन्य खेतों में भी फैल गई। जघीना गांव के हल्का नंबर 1 में जिला परिषद सदस्य भानुप्रताप के खेत में दोपहर में लगी आग के बाद गाव के शिवराम, पदम सिंह, वनय सिंह, कृष्ण कुमार के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी आग की चपेट में आ गई। आग पर दो दमकल की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद काबू पाया। घटना की सूचना पर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस आग के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने बिजली विभाग के ख़िलाफ़ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के लिए मोके पर पहुचे सहायक उपनिरीक्षक हरिओम शर्मा को एक प्रार्थना पत्र देकर तुरंत मुआवजे दिलाने की माँग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि इस मामले में कार्यवाही नही की गई तो किसानो को कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। किसानों के आक्रोश को देखते आग की इस घटना के तुरंत बाद आनन फ़ानन में बिजली विभाग के लाइन मेन मोके पर पहुचे और खंभे पर चढ़कर कार्यवाही करने लगे ।

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन

करौली, (निसं)। स्थानीय वीणा बादनी माध्यमिक विद्यालय शिव कॉलोनी में महात्मा ज्योतिबा फुले कि 198वी जयंती के उपलक्ष में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यालय की निदेशक सुमन माली ने बताया कि प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में माधव चतुर्वेदी प्रथम, अभिषेक गुर्जर द्वितीय तथा लवकुश मीना तृतीय स्थान पर रहे इसी प्रकार जूनियर वर्ग में रविंद्र मीणा प्रथम, प्रशांत मीना द्वितीय तथा खुशी सैनी, राघव महावर एवं काजल संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे प्रधानाध्यापक रंगलाल सैनी ने विजेता प्रतियोगियों को सम्मानित कर महात्मा फुले द्वारा पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला पूजा शर्मा, गणेश मीणा, पुष्पा बाई, ज्योति महावर तथा सोनम महावर ने विचार प्रस्तुत किए।

सफाई इंचार्ज व जमादार का सम्मान

करौली, (निसं)। कैलादेवी मेले तथा रामनवमी पर नगरपरिषद के सफाई जमादार व इंचार्ज को उनके द्वारा करवाये गये उत्कृष्ट सफाई कार्य के लिए सम्मानित किया गया। नगरपरिषद कार्यालय मे आयोजित कार्यक्रम के दौरान परिषद के कार्यवाहक जमादार बबली,सफाई इंचार्ज जाहिद खान को सभापति डॉ. राजरानी शर्मा द्वारा माला,साफा पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया तथा इस दौरान परिषद के आयुक्त प्रेमराज मीना,सभापति प्रतिनिधि सुशील शर्मा, पार्षद आकाश कुशवाह, नरेश भाल,मुकेश गौड,पार्षद प्रतिनिधि जीतू सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष मनोज, मनोज पुत्र डोगा, वशी गुप्ता उपस्थित रहे।

पूर्व सांसद कोली को मिली जिम्मेदारी

भरतपुर, (निसं)। पूर्व सांसद रंजीता कोली को फिर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन की तरफ से पूर्व सांसद रंजीता कोली को 14 अप्रैल को डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती की उपलक्ष में चलाए जा रहे अभियान में उनको जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में 9 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल, वसुंधरा राजे, सुनील बंसल, प्रेमचंद बैरवा और रंजीता कोली और निहालचंद इत्यादि नेताओं को चुना है। 14 अप्रैल से चलाए जा रहे अभियान में अलग अलग जिलों में जाकर कार्य करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। यह जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष द्वारा दी गई है। यह जिम्मेदारी 8 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में हुई बैठक में ये जिम्मेदारी दी गई।

बिजली सप्लाई रहेगी बंद

करौली, (निसं)। 132 केवी सव स्टे'ान करौली से निकलने बाले 11 केवी फीडर हिण्डौन गेट व 3311 केवी सव स्टे'ान करौली शहर से निकलने वाले 11 केवी फीडर वग्घीखाना पर मरम्मत कार्य होने के कारण आज शुक्रवार को प्रात: 7.00 से 10.00 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी जिससे करौली शहर के राजकीय चिकित्सालय,गायत्री नगर,सायनाथ खिडकिया,मासलपुर गेट, इन्द्रा कालोनी,तांवे की टोरी,132 केवी कॉलोनी,अम्बेडकर सर्किल, होली खिडकिया,शुक्ला कॉलोनी, हंसराम बाबा चैराहा आदि क्षेत्र के समस्त उपभोक्ताओ कि विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

मंत्री बेढ़म ने रात्रि चौपाल में आमजन की सुनी परिवेदनाएं

डीग/भरतपुर, (निसं)। गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बुधवार को डीग जिले के ग्राम पंचायत जलालपुर के ग्राम निहाम में रात्रि चौपाल कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी एवं अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने परिवादियों की एक-एक कर समस्याओं को गंभीरतापूर्वक एवं संवेदनशीलता के साथ सुनकर मौके पर अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आमजन की समस्याओं को हल करें। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को योजनाओं का लाभ

■ **रात्रि चौपाल में आए 150 से अधिक प्रकरण**

गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने रात्रि चौपाल में परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

मिलने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जाए। समस्या समाधान के लिए आमजन को परेशान नहीं होना पड़े। इस दौरान बिजली, सिंचाई, पानी, सड़क, अतिक्रमण सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित 150 से अधिक प्रकरण आये। गृह राज्य मंत्री ने समस्त प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वृद्धजन पेंशन योजना से संबंधित एक बुजुर्ग महिला गृह राज्य मंत्री के रात्रि चौपाल में पहुंची। उन्होंने बताया कि 5-6 महीने से पेंशन न मिलने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें घर चलाने में भी दिक्कत आती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवगत कराया की किसी ने जमीन एग्रीमेंट कर फर्जी तरीके से उनकी संपत्ति ले ली है। बुजुर्ग महिला की पीड़ा को श्री बेढ़म ने धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस प्रकरण पर ध्यान ने देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उपस्थित विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि वह पेंशन संबंधित प्रकरणों को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार की प्रमुख मंशा है कि राज्य सरकार के वृद्धजनों को सुगमतापूर्वक बेहतर सुविधाएं मिले। ऐसे में नियमित रूप से पेंशन ना आने के कारण असहजता होती है। योजनाओं का लाभ महिला को दिलाने के लिए उन्होंने अधिकारी को मौके पर निर्देशित किया कि वह एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर महिला की समस्या का समाधान करवाए। वहीं उन्होंने तहसीलदार सीकरी को भी निर्देशित किया कि वह जमीन एठीमेंट के मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी फेक्चुअल रिपोर्ट बनाकर समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल में वृद्धजनों की सेवा एवं उपचार के लिए रामआश्रय जैसे योजना लाकर बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में एक बड़ी पहल की है। ऐसे में अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह सरकार से दिया गया एक-एक रुपए का लाभ आमजन तक पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने एसडीएम सीकरी को भी निर्देशित किया कि वह गेहूं, दाल आदि खाद्य सामग्री बुजुर्ग महिला को मुहैया करवाएं।

निरीक्षण किया

गंगापुर सिटी, (निसं)। गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीना ने विभिन्न स्थानों का औचक निरिक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीएम मीना ने श्री अन्नपूर्णा रसोई शहरी रीको और ग्रामीण खण्डीप का दौरा किया। रसोई में भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। एडीएम ने स्वयं भोजन चखकर इसकी गुणवत्ता परखी।

उन्होंने स्टोर कक्ष और साफ-सफाई की भी जांच की। निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों और मेन्यू के अनुसार ही भोजन बनाया जाए। रसोई और बर्तनों की नियमित सफाई पर जोर दिया गया। एडीएम ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खण्डीप और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यारौली का भी निरीक्षण किया। स्कूलों में पोषाहार और शिक्षक दैनिक डायरी की जांच की गई। प्रिंसिपल को कक्षा-कक्ष और स्कूल परिसर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। स्टाफ को समय की पाबंदी के लिए कहा गया।

युवक की गोली मारकर हत्या, समझाईश के बाद हुआ अंतिम संस्कार

करौली, (निसं)। बंदूक की गोली से एक व्यक्ति की हुई मृत्यु के बाद मृतक के शव को 22 घंटे बाद परिवार जन मांगे पूरी होने पर प्रशासन और पुलिस की समझाईस के बाद सुपुर्दगी में लिया।

ज्ञात रहे गत दिन बुधवार को शाम 6:00 के करीब करौली गंगापुर सड़क मार्ग पर स्थित बीजलपुर गांव निवासी ज्ञान सिंह मीणा 34 के मोटरसाइकिल से आए सवार युवको ने बाई कनपटी पर गोली मार दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल अवस्था में परिवारजन गंगापुर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया उसके बाद मृतक के शव को करौली जिला अस्पताल लेकर आए और मृतक के शव को पोस्टमार्टम कक्ष मे रखा गया मृतक के पिता कैलाश चंद मीणा ने कुडगॉव थाने पर घटना का मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि बुधवार शाम करीब 6:00 बजे खेतों पर गेहूं को भर रहे थे उसे दौरान किसी का उसके मोबाइल पर बुलाने के लिए फोन आया तो उसने कहा थोड़ी देर में आ रहा हूं उसके बाद ज्ञान सिंह बिजलपुर और पाठ और गांव के बीच स्थित एक होटल पर पहुंच जहां दो युवक मोटरसाइकिल से आए और उनके साथ में अन्य मोटरसाइकिल से चार-पांच युवक और थे पिता ने मुकदमा में लिखाया है कि अंकित मीणा ने मोटरसाइकिल से उतरकर सीधे ही ज्ञान सिंह कि कनपटी पर गोली से बार कर दिया और ज्ञान सिंह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया होटल पर बैठे लोगों ने घटना की जानकारी दी जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल को लेकर गंगापुर अस्पताल पहुंचे इधर कुडगॉव थाना पुलिस को सूचना दी। उधर गंगापुर अस्पताल चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया उसके बाद कुडगॉव थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची मृतक के शव को गंगापुर से करौली जिला अस्पताल लाया गया और मोर्चरी में शव को रखवाया उसके बाद हुआ यह है कि गुरूवार प्रात ही मृतक के परिवारजन और गांव के लोग हत्या के आरोपियों कि गिरफ्तारी को लेकर और और परिवारजन को आर्थिक सहायता कि मांग को लेकर अस्पताल परिसर में धरना पर बैठ गए धरना में पूर्व विधायक सुरेश मीणा सहित आसपास के भी लोग शामिल रहे समझाइस का दौर चला शाम 5:00 बजे के करीब जिला प्रशासन कि ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल और पुलिस प्रशासन कि ओर से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गुमनाराम कि समझाईस पर और मांगों पर राजी नामा होने के बाद धरना समाप्त किया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर गांव पहुंचे जहां मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया।

डहरा पुलिस चौकी में लगी आग

नदबई, (निसं)। आगरा जयपुर राजमार्ग पर नदबई क्षेत्र में डहरा पुलिस चौकी पर गुरुवार तड़के करीब तीन बजे तेज अंधड़ में हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिसकर्मियों ने निजी डीपबोर से आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन, तेज अंधड़ के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

सूचना पर नदबई, उच्चैन व जिला मुख्यालय सहित हाईवे दमकल की सहायता से करीब चार घण्टा मशक्कत कर आग पर काबू तो पाया गया। लेकिन, इससे पहले अलग-अलग मामलों में जब्त वाहन आग की चपेट से कबाड़ बन गए।

प्याऊ का उद्घाटन

करौली, (निसं)। सकल जैन समाज द्वारा बडा बाजार स्थित जैन मंदिर के पास शीतल पेयजल प्याऊ का निर्माण किया जिसका बुधवार को क्षेत्रीय विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने फीता काटकर उद्घाटन किया।

रामखिलाड़ी प्रभारी नियुक्त

करौली, (निसं)। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के भरतपुर संभाग प्रभारी पद पर राम खिलाड़ी मीणा को नियुक्त किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद गुप्ता ने भरतपुर संभाग के प्रभारी पद पर रामखिलाड़ी मीणा को नियुक्ति दी गई है रामखिलाड़ी मीणा विकास अधिकारी पद से रिटायर्ड अधिकारी हैं।

भगवान महावीर की शोभायात्रा निकाली

करौली, (निसं)। करौली में महावीर जयंती के मौके पर सकल जैन समाज ने भव्य शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा में जिनेंद्र भगवान कि प्रतिमा विराजमान पालकी आकर्षण का केंद्र रही।

बडा बाजार स्थित जैन मंदिर मे कार्यक्रम की शुरुआत जिनालय में स्नात्र पूजा और 16 स्वप्न बोलियों के आयोजन से हुई। शोभायात्रा में महिलाएं त्रिशला माता के 16 स्वप्नों के प्रतीक चिह्न लेकर चल रही थींजैन धर्मावलंबियों ने आरती कर जिनेंद्र भगवान का स्वागत किया। शोभायात्रा बडा बाजार, अनाज मंडी, सदर बाजार, फूटाकोट होते हुए भूडारा बाजार सब्जीमंडी, बडा बाजार से मंदिर मे पहुँचकर सम्पन्न हुई कार्यक्रम में केवल चंद जैन, कैलाश जैन, प्रदीप जैन, विवेक जैन और डॉ. प्रदीप जैन सहित सकल जैन समाज के महिला,पुरूष,युवा बैंड बाजे के साथ भगवान के जयकारे लगाते चल रहे थे।

Government of India

Ministry of Environment, Forest & Climate Change

Regional Office, Regional Office, Gandhinagar (Sub Regional Office, Jaipur) Email: Iro.jaipur-mefcc@gov.in

सत्यमेव जयते

Online Proposal No.: FP/RJ/OTHERS/438114/2023 Dated: 15/10/2024

To,

The Principal Secretary (Forests)
Forest Department,
Govt. of Rajasthan,
Jaipur, Rajasthan.

Subject: Proposal for non-forestry use of 0.0185 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s MAHESH NAIR for Karauli Territorial Division in KARAULI Forest Division, District (RAJASTHAN) - reg.

Sir/Madam,

I am to refer to the online proposal no. FP/RJ/OTHERS/438114/2023 dated 26/07/2023 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Central Government.

After careful consideration and approval of the proposal by the Central Government, I am to convey the **"In-Principle/ Stage-I"** approval of the Central Government under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the Proposal for non-forestry use of 0.0185 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s MAHESH NAIR for Karauli Territorial Division in Forest Division, District KARAULI (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following conditions:

1. General Conditions

S. No	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.3	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India
S. No	Conditions
	dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.4	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.5	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned
1.6	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required
1.7	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.8	The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.9	No labour camp shall be established on the forest land
1.10	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.11	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.12	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.13	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.14	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.15	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.16	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project
1.17	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
S. No	Conditions
1.18	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
1.19	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.20	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
1.21	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015

2. Standard conditions

S. No	Conditions
2.1	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.
2.2	Compensatory Afforestation shall be carried out by the State Forest Department by the way of plantation of 100 plants.

3. Specific Conditions

After receipt of the compliance report on the fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Government in this regard.

Your's faithfully
(Shrawan Kumar Verma)
Regional Officer,
Regional Office, Gandhinagar
Sub Regional Office, Jaipur.

भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महामहोत्सव हर्षोल्लास से मनाया

हिण्डौन सिटी, (निसं)। स्थानीय श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी में आज अहिंसा धर्म के प्रणेता विश्व वंदनीय 24 वे तीर्थंकर श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महामहोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

प्रात: 6 बजे मंदिर कटला प्रांगण से स्थानीय विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रभात फेरी जुलूस बैंड बाजों के साथ निकाला गया। प्रात: 7:30 बजे मंदिर कटला प्रांगण में मुनि श्री 108 चिन्मयानंद जी महाराज के सानिध्य में मानस्तंभ पर मुख्य अतिथि जयपुर निवासी हरेंद्र जैन ,सुरुचि जैन परिवार द्वारा झंडा रोहण किया गया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल मंदिर कमेटी ट्रस्ट की ओर से क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल, मानद मंत्री सुभाष जैन , संयुक्त मंत्री उमरावमल संघी, योगेश टोडरका, प्रदीप ठोलिया, विष्णु सिकरवार, नेमी कुमार पाटनी, विकास पाटनी देशभर से आए श्रद्धालु उपस्थित रहे। तत्पश्चात कटला प्रांगण से 8 बजे बैंड बाजे व गाजे बाजे के साथ जल यात्रा निकाली गई जिसमें आगे आगे केसरिया ध्वज लहराते हुए छात्र चल रहे थे। श्रीजी की पालकी के साथ जुलूस

दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल व विधवा महिलाओं को नि:शुल्क सिलाई मशीन वितरित की।

निकाला श्रीजी की पालकी ले जाते हुए वीर सेवक मंडल जयपुर भगवान महावीर स्वामी के जयकारे लगाते हुए त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की...अहिंसा धर्म की जय... महावीर का नारा है जिन शासन हमारा है...महावीर का क्या संदेश जियो और जीने... सादा जीवन उच्च विचार महावीर की जय जयकार... नारे लगाते हुए श्रद्धालु गण चल रहे थे महावीर भगवान के जयकार से सारा वातावरण धर्ममय गूंजायमान हो गया। जुलूस मुख्य बाजार व कांच के मंदिर से होते हुए बगीची में पहुंचा, जहां पर पंडित मुकेश जैन शास्त्री द्वारा श्री जी के 21 रजत कलशो की बोली लगाई गई। बगीची से जुलूस बैंड बाजे के साथ जिसमें महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर चल रही थी जुलूस मुख्य मंदिर गया। 10:30 बजे कटला पश्चिमी पंडाल में स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों को मोदक वितरण, अस्पताल में मरीजों को, हिंडोन स्थित जेल के कैदियों को फल वितरण किया गया। मध्यान 12 बजे कटला पश्चिमी पंडाल मे श्री वीर संगीत मंडल जयपुर द्वारा भक्ति संध्या सामूहिक पूजन की गई। दोपहर 2:00 बजे भगवान महावीर स्वामी का पालना झुलाया गया, मेरे महावीर झूले पलना...सन्मति वीर झूले पलना...जिसमें सैकड़ो श्रद्धालुओं ने वीर प्रभु का पालना झुलाया। दोपहर 3:30 बजे कलशाभिषेक किये गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर ने चाँदनपुर के महावीर प्रदर्शनी का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया मौके पर दिव्यांगों को ट्राई साइकिल व विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन भेट की।

समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित दिव्यांग सहायता शिविर का उद्घाटन किया जहाँ दिव्यांग जनों को 35 ट्राई साइकिल व 33 विधवा महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन अन्य दिव्यांग जनों को 12 को कैलिपर्स , 29 को वैसाखी 18 कृतिम पैर महावीर फूट के सौजन्य से वितरित की ।इससे पूर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने भगवान महावीर जियो और जीने दो हम सभी को मार्ग के लिए प्रेरित करता है मानव कल्याण के लिए आज के समय में भगवान महावीर के उपदेशों को ठाहण करने की आवश्यकता है।

कार्यालय विकास अधिकारी, कम कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा) पंचायत समिति करौली जिला करौली

क्रमांक: पसक/लेखा/निविदा/2025-26/35-40 दिनांक: 9.04.2025

निविदा सूचना संख्या 1-8/2025-26

पंचायत समिति करौली में विभिन्न योजनाओं/शाखाओं में विभिन्न कार्यो. व्यवस्थाओं हेतु दर अनुबन्ध करने/सामग्री क्रय करने/बोली के लिए/मत्स्याखेट व हड्डी संकलन की अनुज्ञा देने के लिए अनुभवी फर्मों/प्रतिष्ठित संस्थाओं/इच्छुक व्यक्तियों से खुली निविदा आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक निविदा दाता निर्धारित राशि नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली के नाम जमा कराकर पंचायत समिति से निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तें प्रापत कर सकते हैं। निविदाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क
1	पंचायत समिति की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन मैन कार्य सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से जॉब आउट सेसिंग बैसिस पर कराना	8.00	16000	400/-
2	कार्यालय के उपयोग एवं विभिन्न योजनाओं (पीएम आवास, नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन आदि के पर्यवेक्षण हेतु किराये पर बोलेरो वाहन मॉडल 2022-23 के बाद का मय वाहन चालक के उपलब्ध कराना।	4.00	8000	400/-
3	कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी/लेखन सामग्री आवश्यकतानुसार (दर निर्धारण)	5.00	10000	400/-
4	कार्यालय का फोटो स्टेट कार्य आवश्यकतानुसार (दर निर्धारण)	3.00	6000	200/-
5	प्रशिक्षणों एवं मिटिंग में चाय नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था आवश्यकतानुसार	5.00	10000	400/-
6	मृतक पशु हड्डी संकलन ठेका वर्ष 2025-26 पंचायत समिति करौली परिक्षेत्र में।	आरक्षित राशि-1.00	33000/-	200/-
7	मत्स्याखेट ठेका वर्ष 2025-26 ग-श्रेणी के जलाशय बंध बांधवा पंचायत समिति करौली	आरक्षित राशि- 0.50	15000/-	200/-
8	आई.टी. केन्द्रों में सुरक्षा गार्ड सेवा प्रदाय एजेन्सी के माध्यम से	5.00	10000/-	400/-

पंचायत समिति करौली कार्यालय पर उक्त सभी निविदाओं को बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने आदि का कार्यक्रम निम्नानुसार होगा।

निविदा बेचने की दिनांक	निविदा जारी होने की दिनांक से दिनांक 21.04.2025 साय: 4:00 बजे तक
निविदा प्राप्त करने की दिनांक व जमा कराने की दिनांक	दिनांक 22.04.2025 प्रात: 12:00 बजे 2 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 23.04.2025 दोपहर 11:00 बजे से

सामग्री की मात्रा एवं कार्य का विवरण निविदा प्रपत्रों में अंकित है। कार्य/सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या बढोतरी की जा सकती हैं। निविदा शर्तें एवं निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क नकद/डिमॉन्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली के पक्ष में देय हो जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदायें उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर जमा कराई जा सकती है। निविदा का प्रकाश sppp.raj.gov.in पर कर दिया गया है, जिसे बेवसाईट से डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क के साथ पूर्ण रूप से भरकर जमा कराया जा सकता हैं। निर्धारित प्रारूप में दर प्रस्तुत न करने पर एवं अस्पष्ट होने पर एवं अपूर्ण निविदाओं पर विचा नही किया जावेगा। निविदाऐं बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा एवं निविदा फॉर्म के साथ निविदा की शर्तें प्राप्त की जा सकती है।

KR2526SSRC00020 (2) ZKR2526SSRC00021
KR2526SSRC00022 (2) ZKR2526SSRC00023
KR2526SSRC00024 (2) ZKR2526WSRC00025

(अजीत सिंह)
विकास अधिकारी
कम कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)
पंचायत समिति करौली